

प्रेस नोट

पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात के निर्देशन में दिनांक:- 20.09.2023 को जनपद में अपराधियों के विरुद्ध व अपराध नियन्त्रण हेतु चलाये जा रहे अभियान एवं जनपद में शान्ति व्यवस्था

कायम रखने हेतु की गयी कार्यवाही का विवरण:-

- थाना अमराहट पुलिस द्वारा मु0अ0सं0-23/23 धारा 376/366/504/506/120बी भादवि0 में वांछित अभियुक्त विष्णुकान्त निषाद पुत्र रामप्रसाद निवासी ग्राम बिभौली थाना चकरनगर जनपद इटावा हाल पता ग्राम घटापारा थाना अमराहट कानपुर देहात को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना शिवली पुलिस द्वारा मु0अ0सं0-100/18 धारा 323/504/506 भादवि0 से सम्बन्धित अभियुक्तगण 1. देवी प्रसाद पुत्र मातादीन 2. महाबीर पुत्र मातादीन निवासीगण ग्राम ककरदही थाना शिवली कानपुर देहात को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना रनियां पुलिस द्वारा अभियुक्त सतीश कुमार पुत्र स्व0 हरीलाल निवासी कटका थाना गजनेर कानपुर देहात अभियुक्त द्वारा रास्ते से निकलने वाली लडकियो व महिलाओं को देखकर अश्लील गाना गाने जिससे लडकियो व महिलाओ को शर्मिन्दी महसूस होने के सम्बन्ध में गिरफ्तार कर मु0अ0सं0-160/23 धारा 294 भा0द0वि0 पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना डेरापुर पुलिस द्वारा अभियुक्त मुईन उर्फ चाँद पुत्र मुस्लिम निवासी ग्राम महमूदापुर थाना डेरापुर कानपुर देहात अभियुक्त द्वारा पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से लिये तमंचा देशी 315 बोर से फायर करने व पुलिस पार्टी द्वारा आत्मरक्षार्थ फायरिंग में उसको दाहिने पैर में गोली लगने व अभियुक्त के कब्जे से एक अदद देशी तमंचा 315 बोर मय 02 अदद खोखा व एक अदद जिंदा कारतूस 315 बोर बरामंद होने के सम्बन्ध में गिरफ्तार कर मु0अ0सं0-130/23 धारा 307 भा0द0वि0 व धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- जनपद मे शांति व्यवस्था कायम रखने हेतु जनपद पुलिस द्वारा 19 व्यक्तियों के विरुद्ध थानावार क्रमशः जिसमें थाना अकबरपुर पुलिस द्वारा 03 व्यक्तियों, थाना भोगनीपुर पुलिस द्वारा 02 व्यक्तियों, थाना सट्टी पुलिस द्वारा 02 व्यक्तियों, थाना मूसानगर पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति, थाना राजपुर पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति, थाना डेरापुर पुलिस द्वारा 04 व्यक्तियों, थाना मंगलपुर पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति, थाना रसूलाबाद पुलिस द्वारा 03 व्यक्तियों, थाना शिवली पुलिस द्वारा 02 व्यक्तियों का धारा 151/107/116 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत चालान किया।